न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 11 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट

1. मांगीलाल पुत्र दौलतराज जाति भंसाली निवासी ग्राम असाड़ा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
2. आम्बसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपुरोहित निवासी इन्द्राणा

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.श्रीमती सकूदेवी पत्नी दूर्गसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम इन्द्राणा तहसील सिवाना।
2.डायाराम पुत्र भुराराम जाति भील निवासी गूडा तहसील सिवाना।
3.राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार, सिवाना जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा मुकदमा संख्या 04 / 2015 बअनवान सकूदेवी बनाम मांगीलाल में पारित निर्णय दिनांक 16.02.2018 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री अचलाराम थोरी अपीलान्ट संख्या 02 की ओर से।
2. वकील श्री कैलाश पुरी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 03.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 01 के कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा गुडा पटवार क्षेत्र तहसील सिवाना के खसरा संख्या 126 रकबा 03.08 बीघा स्थित है एवं खसरा संख्या 16 व खसरा संख्या 120 में अपीलार्थी की भूमि एवं खसरा संख्या 121 में प्रत्यर्थी संख्या 02 डायाराम के कब्जे काश्त की भूमि स्थित है। एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 के खेत में आवागमन के एम मात्र रास्ता अपीलार्थी के खेत खसरा संख्या 120 व 121 से जाता है, एवं सड़क मार्ग प्रत्यर्थी संख्या एक के खेत से 400 मीटर दूर है, उक्त रास्ते से कही पीढियों से सुचारू रूप से आवागमन हो रहा है। उक्त रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है एवं वर्तमान में चालू हालत में है। इस आशय का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा जबाव प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया परन्तु दिनांक 02.02.2018 को अपीलार्थी के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से अपीलांट संख्या 01 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं अपीलाधीन एकपक्षीय आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दिनांक 03.07.2019 को प्रार्थी आम्बसिंह की तरफ से एक आवेदन अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 पेश किया जिसे बाद सुनवाई स्वीकार कर आम्बसिंह को अपीलांट संख्या 02 के रूप में संयोजित करने के आदेश दिये एवं संशोधित शीर्षक रिकॉर्ड पर लिया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 01 के पास अपनी खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 126 में आवागमन का रास्ता आज रोज भी खेत खसरा संख्या 124 व 125 की दूरमियानी माठ पर आज रोज भी आवागमन हेतु चालू हालात में है। कटाण रास्ते के पास से खेत खसरा संख्या 126 तक सबसे निकटतम नजदीकी रास्ता उपलब्ध है। अपीलांट के खसरा संख्या 120 में जिस जगह रास्ता चाहा है वहा दाड़म के पौधे की फसल खड़ी है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा जबाव प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया परन्तु दिनांक 02.02.2018 को अपीलार्थी के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से अपीलांट संख्या 01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है तथा अपीलांट को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खेत में जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है यह तथ्य मौका रिपोर्ट से स्पष्ट साबित होता है। रेस्पोडेंट को वांछित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अपीलांट संख्या 01 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि बेच देने के फलस्वरूप वह उपस्थिति नहीं आया लिहाजा उसके हित प्रभावित नहीं होते हैं। उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही न्यायोचित हुई है। रेस्पोडेंट संख्या 02 डायाराम द्वारा अपने खेत खसरा संख्या 121 में से रास्ता प्रदान कर देने की सहमति दी गई और निर्धारित मुआवजा राशि प्राप्त कर ली जिसकी पावती रसीद रिकॉर्ड पर है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि खसरा संख्या 120, 121, 126, 127 व 128 मे से होकर चालू रास्ता विद्यमान है,

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

इसकी ताईद न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर के प्रकरण अपील संख्या 24/2003 निर्णय दिनांक 27.08.2003 में होना भी प्रतिवेदित किया है। ग्राम नाल में खसरा संख्या 17 रकबा 01.19 बीघा गैर मुमकिन रास्ता से लगता हुआ प्रार्थी द्वारा रास्ता हेतु चाहा खेत खसरा संख्या 16 है। अभिलेख पर ग्राम पंचायत गुड़ा का पत्रांक 2018/254 दिनांक 09.07.2018 है जिससे साबित होता है कि अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ता दिनांक 19.04.2018 को भू.अ.नि व पटवारी हल्का द्वारा पुलिस इमदाद के जरिये कायम कर आवागमन हेतु चालू कर दिया गया परन्तु अपीलांट संख्या 02 आम्बसिंह पुत्र प्रतापसिंह द्वारा उक्त मार्ग पर कंटीली झाड़ियां व कंटीले तार से उसे बंद कर दिया गया। तथा रास्ते की भूमि पर अनार के पौधे लगाए जाकर रास्ता बंद किया जो वर्तमान में बंद है। अपीलांट संख्या 02 की यह कार्यवाही सद्भाविक और कानून सम्मत नहीं है। उसने अपीलांट के न्यायालय द्वारा प्रदत्त अधिकारों में गैर कानूनी रूप से हस्तक्षेप कर अवरोध पैदा कर दिया है। मौका जांच (दिनांक 25.09.2017) रिपोर्ट तथा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संपूर्ण तथ्यों पर गौर करने के पश्चात रास्ता कायम करने का जो अपीलाधीन निर्णय दिया है वह युक्तिसंगत है। इसमें किसी भी प्रकार से दखल की आवश्यकता नहीं है।

अतः लिहाजा अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा मुकदमा संख्या 04/2015 बअनवान सकूदेवी बनाम मांगीलाल में पारित निर्णय दिनांक 16.02.2018 को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार सिवाना रेस्पोडेंटस को प्रदत्त एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद शुदा रास्ते को तुरंत प्रभाव से खुलवाकर आवागमन सुचारू करें।

2/7/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner